न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–221/2026

मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–14/2026

दूनदून चौधरी उर्फ दूनदून कुमार – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **दूनदून चौधरी उर्फ दूनदून कुमार** की ओर से मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–14/2026, जी0आर0 सं0–251/22 धारा–137(2), 140(2), 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को, उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर के द्वारा संचालित किया गया। सत्यापित काण्ड दैनिकी प्राप्त है।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता को सुना। उनका मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे इस मामले में दुर्भावना एवं दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। सभी कथित धाराएं जमानतीय हैं, सिवाय धारा–140(2) BNS के, जो इस आवेदक पर लागू नहीं होता है और न ही उसके विरूद्ध उक्त धारा के तहत कोई मामला नहीं बनता है। पीड़ित के धारा–183 BNSS के तहत बयान के अनुसार, कथित घटना में इस आवेदक की कोई भागीदारी नहीं है और वह अपने बयान में आवेदक के विरूद्ध एक भी शब्द नहीं कहा है। वह अपनी मर्जी से अपनी उम्र के अनुसार शादी करेगी तथा पीड़ित ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। आवेदक धारा–482 BNSS के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होगा। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना करते हैं।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–221/2026
मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–14/2026

लगातार
13.03.2026

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन के केस का सारांश यह है कि दिनांक 26.01.2026 को संध्या छह बजे सूचक की लड़की (पीड़िता), उम्र–21 साल, सब्जी खरीदने बाजार निकली, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। घर से निकलने तक लगातार, ग्रामीण लड़का गुलशन कुमार उर्फ छोटू के मो0–7296221126 पर व्हाट्सएप कॉल आता रहा। सूचक आश्वस्त हैं कि गुलशन कुमार, उसकी माँ संगीता देवी, चाचा–टूनटून चौधरी एवं टनटन चौधरी ने आम सहमति से गलत नियत से मानव तस्करी हेतु उनकी लड़की का अपहरण किया है।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक की ओर से अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं सत्यापित काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर समान आशय से गलत नियत से सूचक की 21 वर्षीय पुत्री को मानव तस्करी हेतु अपहरण कर लेने का गम्भीर आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2 में वादी का पुनः बयान व कंडिका–7, 8 एवं 9 में अन्य साक्षियों का बयान दर्ज है, जिसमें सभी ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–35 में पीड़िता–सह–अपहृता का धारा–180 BNSS के तहत बयान दर्ज है, जिसमें उसने बताई है कि उसके ही गाँव का एक लड़का गुलशन कुमार (सह–अभियुक्त) करीब एक वर्ष से उसका पीछा करता था। मम्मी–पापा पीड़िता की शादी बेगूसराय के एक लड़के के साथ तय कर दिये, इस बात की जानकारी गुलशन कुमार को हुई तो वह दिनांक 26.01.2026 को JNKT कॉलेज के पास जबरदस्ती पीड़िता को ऑटो पर बैठा लिया और मोबाईल छिन लिया और वहाँ से उसे भागलपुर ले गया। भागलपुर से जसीडीह ले गया, फिर वहाँ

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–221/2026
मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–14/2026

लगातार
13.03.2026

से ट्रेन से दिल्ली ले गया। आवेदक इस काण्ड का नामित अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद में अनुसंधान जारी है, ऐसी दशा में उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	13.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	17.03.26
Uploading by	Nitish Kumar (D.C.J)